


रीख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स  
उनवान बाबुलाल बनाम कन्हैयालाल आदि  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

03.09.2025

प्रार्थी श्री बाबुलाल पुत्र श्री गिरधारीलाल ने जरिये वकील स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहकर प्रार्थना पत्र मिशाल तलवी व प्रार्थना पत्र बाबत् विद्दो किये जाने प्रकरण पेश किया गया एवं निवेदन किया गया कि उनवानी प्रकरण में आगामी तारिख पेशी दिनांक 09.09.2025 नियत है तथा प्रार्थना पत्र को आज दिनांक 03.09.2025 में लिये जाने हेतु निवेदन किया। अतः प्रार्थना पत्र मिशाल तलवी स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली आज की तारिख पेशी में तलव की गई तथा प्रार्थना पत्र विद्दों पर सुना गया। प्रार्थी अपने प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को विद्दो के आधार पर खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् विद्दो किये जाने प्रकरण को स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
मुंसुनू (राज.)

  
13-9-2025